प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः २१ मार्च, 2007

विषय–वित्तीय वर्ष 2006–07 में गंगा कार्ययोजना के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3210/गंगा प्रदूषण दिनांक 29.06.06 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिद्वार/ऋषिकेश नगरों में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यो के रखरखाव हेतु अनु0 लागत रू0 863.55 लाख के प्राक्कलन पर टीएसी के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 637.55 लाख (रू0 छः करोड़ सैतीस लाख पचपन हजार मात्र) की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के साथ ही इतनी ही धनराशि के व्यय हेतु संलग्न मदवार विवरणानुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय इस हेतु भारत सरकार-व राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

2– उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके आवश्यकतानुसार ही पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त तीन किश्तों में आहरित किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर्स की संख्या व दिनांक की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

3– उक्त स्वीकृति से व्यय की गई धनराशि का विस्तृत ब्यौरा तथा मासिक व त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति यथासमय शासन को उपलब्ध करायेगे एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण व्यय विवरण सहित शासन तथा महालेखकार, उत्तरांचल को चालू वित्तीय वर्ष की 31.03.07 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

क्रमश....2

4– व्यय टीएसी द्वारा अनुमोदित फॉट के अनुसार ही किया जायेगा और यदि अनुरक्षण कार्य नहीं बढ़ता है तो स्टाफ पर व्यय में भी कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी और उक्त व्यय अनुमोदित लागत में ही सीमित रखा जायेगा।

5– गंगा कार्ययोजना के अन्तर्गत किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव का राज्य सरकार की वचनबद्धता की सीमा तक धनराशि व्यय की जा सकेगी और इसके अभिलेख का रखरखाव योजनावार अलग–अलग किया जायेगा ।

6– स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या ए–2–87(1)दस–97–17(4)75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि सहित सैन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगा। इसे कृपया कड़ाई से सुनिश्चित कर लिया जाय।

7– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मेनुअल, फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8– उक्त स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2007 तक उपयोग करके वित्तीय /भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जो धनराशि दिनांक 31.03.2007 तक अप्रयुक्त रहती है उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

10– उक्त व्यय वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्तर्गत अनुदान संख्या –13 के लेखाशीर्षक 2215–जलापूर्ति तथा सफाई–02–मल निकासी एवं सफाई– आयोजनागत–106–वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण– 03– गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव हेतु जल निगम को अनुदान (फेज–I एंव II)–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 2184/XXVII(2)/2007 दिनांक 14 मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या:– 357(2)/उन्तीस (2)/06/02(121पे0)/2006,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।

2–आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

3–जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार

4–कोषाधिकारी, देहरादून।

5–परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,उत्तरांचल पेयजल निगम हरिद्वार।

6–वित्त अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग/राज्य योजना आयोग/बजट सेल। ।

7–निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तरांचल शासन को मुख्यमंत्री जी के सज्ञानार्थ।

8–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।

9–निदेशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

10–गार्ड फाईल

संलग्न- यथोक्त,

आज्ञा से

(नवीन सिंह तड़ागी)

उप सचिव

19/3/07

शासनादेश संख्या 357/उन्तीस(2)–2(121 पे0)/2006, दिनांक 21 मार्च 2007 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्राक्कलन में प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	आपरेटिंग स्टाफ पर व्यय(सिविल/मैकेनिकल)	172.92	162.00
2	भवनों का रखरखाव तथा अन्य मद	40.22	32.00
3	जनरेटर तथा पम्पिंग प्लांट की मरम्मत	61.11	60.50
4	राईजिंग मेन का रखरखाव	2.72	2.00
5	विद्युत व्यय हेतु	101.45	101.45
6	डीजल तथा लुब्रीकेन्ट	44.39	42.00
7	अतिरिक्त स्टाफ	24.31	24.30
8	नाला की सफाई	22.10	18.00
9	सम्प एवं एस.डी.बी. की सफाई	21.91	21.00
10	गाडियों का रखरखाव	08.95	05.00
11	पुराने पम्पिंग प्लांटों का बदलना	67.00	40.80
12	सीवरेज की मरम्मत एंव रखरखाव	135.26	89.85
13	इक्यूमैक्स, कैमिकल आदि	03.74	.00
14	सैन्टेज 12.5 प्रतिशत	94.17	42.30
	वार्षिक प्राप्ति को कम करते हुए		(–)06.65
	योग		637.55

(रू0 छः करोड़ सैंतीस लाख पचपन हजार मात्र)

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव